अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली–110031
दूरभाष संख्या 22424989

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2022 / 7494-96 दिनांक 23-3-22

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 52 दिनांक 24–03–2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 14–03–2022 का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 52 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

(रवीन्द्र कुमार)
कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2022 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, तीसरा तल, एम् एस ओ बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली– 02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर,दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52

दिनांक : 24–03–2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में गांव में खेती की जमीन पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले बने हुए हैं,	राजस्व विभाग द्वारा दिया गया उत्तर **अनुलग्नक 'क'** में सलग्न है।
ख) यदि हां, तो किन किन गांवों की जमीन के बीच से बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले गुजर रहे हैं,	उपरोक्तानुसार।
ग) उन गांवों के कौन कौन से खसरे से ये नाले गुजर रहे हैं, उनका विवरण दें, और	उपरोक्तानुसार।
घ) जिन खसरों से ये नाले गुजर रहे हैं वहां किसानों द्वारा कितनी कितनी जमीन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दे दी गई है, उसका विवरण देने की कृपा करें ।	उपरोक्तानुसार।

(रवीन्द्र कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुलग्नक 'क'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उपायुक्त उत्तर पूर्व, दिल्ली
डी सी ऑफिस, नन्द नगरी, दिल्ली–110093

F.No.3(82)/DC/NE/Admn./P.Question/2021/PF-2 / 3192 **Dated 22/03/22**

सेवा में,

एसडीएम –3 (मुख्यालय),
संसदीय शाखा,
राजस्व विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

विषयः– **माननीय विधानसभा सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट जी द्वारा दिल्ली विधानसभा में उठाये गए गए अतारांकित प्रशन 52 दिनांक 24 मार्च 2022 के सम्बन्ध में /**

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में, उत्तर निम्नानुसार हैं।

क्रम संख्या	प्रश्न	सूचना
क	क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में गांव में खेती की जमीन पर एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले बने हुए है।	जहॉं तक करावल नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले गांवों में खेती की जमीन पर नाले होने का प्रश्न है, तो ऐसी कोई जानकारी करावल नगर विधान सभा से संबधित उपलब्ध राजस्व रिकार्ड माल में दर्ज नही है, परन्तु कुछ गावों में कुछ भूमि नालों के नाम से दर्ज है जोकि असल ग्राम सभा की भूमि है। परन्तु ये नाले किस विभाग के है ऐसी कोई जानकारी राजस्व रिकोर्ड माल मे दर्ज नही है।
ख	यदि हा, तो किन किन गांवो की जमीन के बीच से बाढ नियंत्रण विभाग के नाले गुजर रहे है।	निम्नलिखित गांवों की असल ग्राम सभा की भूमि पर नाले गुजर रहे है। 1. बदरपुर खादर : (ग्रामीण) 2. बिहारी पुर : (शहरीकृत) 3. करावल नगर : (शहरीकृत) 4. जौहरी पुर : (शहरीकृत) 5. खजूरी खास : (शहरीकृत)
ग	उन गांवो के कौन कौन से खसरे से ये नाले गुजर रहे है, उनका विवरण दें, और	1. बदरपुर खादर : (ग्रामीण) : खसरा नं0 60 2. करावल नगर : (शहरीकृत) : खसरा नं0 65 3. जौहरी पुर : (शहरीकृत) : खसरा नं0 22 एंव खसरा नं0 6/24/2 मिन 4. हाल ही में सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुरोध पर बिहारी पुर बन्द ड्रेन का सीमांकन टी.एस.एम. पद्दति द्वारा करवाया गया। इसकी रिपार्ट के अनुसार यह ड्रेन वर्तमान में कुछ निजी भूमि एवं वेस्टीड (निहित) ग्राम सभा के खातो से भी गुजर रही है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध राजस्व रिकार्ड माल से नही होती है। बिहारी पुर (शहरीकृत) मे वर्तमान मे मौके पर मौजूद बन्द ड्रेन, मुताबिक टी.एस.एम. पेमाईश जिन निजी भूमि खातों, वेस्टीड (निहित) ग्राम सभा खातों एवं असल ग्राम सभा की भूमि के खातों से गुजर रही है उनके खसरे नम्बरों व मलकियत का विवरण निम्न प्रकार से है। **असल ग्रामसभा भूमि:** 580/2, 583 एवं 603 **वेस्टीड (निहित) ग्राम सभा भूमि:** 399, 402, 461, 462, 463, 464, 480, 484, 485, 486, 494, 499, 583 एवं 587 **निजी भूमि:** 483, 489, 490, 578, 579, 581, 584, 585, 586, 588, 602 एवं 604

		5. ग्राम खजूरी खास के नम्बर खसरों का विवरण निम्न प्रकार से है। **महकमा पी.डब्लू.डी.**: 123 **वेस्टीड (निहित) ग्राम सभा भूमि**: 125, 136, 139, 147, 148, 150,190, 191, 192, 228 एवं 229 **निजी भूमि**: 137, 140, 149, 151, 163, 164, 165, 166, 167 एवं 169
घ	जिन खसरों से ये नाले गुजर रहे है वहां किसानों द्वारा कितनी कितनी जमीन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दे दी गयी है, उसका विवरण देने की कृपा करें?	मुताबिक उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड माल किसानो द्वारा कोई भी जमीन/भूमि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को नही दी गई है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)
जिला उत्तरपूर्व, दिल्ली

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार